



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042023-245126
CG-DL-E-12042023-245126

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1618]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 2023/चैत्र 22, 1945

No. 1618]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2023/CHAITRA 22, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

परिशिष्ट

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023

का.आ. 1697(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की अधिसूचना का.आ. 1574(अ), दिनांक 31 मार्च, 2023 जो अधिकतम कीमत से संबंधित है भारत के आसाधारण राजपत्र में तालिका के क्रम सं. 211, 269 और 270 का हिंदी और अंग्रेजी दोनों का रूपांतरण निम्नानुसार पढ़ा जाए।

इसके स्थान पर

क्र. सं.	अनुसूचित विनिर्भिति का नाम	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (12.1218% की दर से 01.04.2023 से डब्ल्यूपीआई के साथ प्रभावी) (रु.)	वर्तमान का. आ. संख्या और दिनांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6(a)	6(b)
211	हैलोपेरीडोल	गोली 1.5 मिलीग्राम	1 गोली	1.56	89(अ)	06.01.2023
269	लिवोफ़्लॉक्ससिन	गोली 250 मिलीग्राम	1 गोली	4.76	89(अ)	06.01.2023
270	लिवोफ़्लॉक्ससिन	गोली 500 मिलीग्राम	1 गोली	8.80	89(अ)	06.01.2023

पढ़ा जाए

क्र. सं.	अनुसूचित विनिर्भिति का नाम	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (12.1218% की दर से 01.04.2023 से डब्ल्यूपीआई के साथ प्रभावी) (रु.)	वर्तमान का. आ. संख्या और दिनांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6(a)	6(b)
211	हैलोपेरीडोल	गोली 1.5 मिलीग्राम	1 गोली	1.58	89(अ)	06.01.2023
269	लिवोफ्लॉक्ससिन	गोली 250 मिलीग्राम	1 गोली	4.82	89(अ)	06.01.2023
270	लिवोफ्लॉक्ससिन	गोली 500 मिलीग्राम	1 गोली	8.99	89(अ)	06.01.2023

दिनांक 31 मार्च, 2023 के मूल आदेश का.आ. 1574(अ), में उल्लेखित सभी नोटस और अन्य समाग्री समान रहेगी।

[कां. सं./243/111/2023/एफ फा. सं. 8(111)/2023/डीपी/एनपीपीए-डिवी-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th April, 2023

S.O. 1697(E).—In the National Pharmaceutical Pricing Authority's notification S.O. 1574(E), dated 31st March 2023 relating to fixation of ceiling price, published in the Gazette of India, Extraordinary, the Entry at Sl. No. 211, 269 & 270 of the Table, both in Hindi & English version, be read as follows:

Instead of

Sl. No	Medicines	Dosage form and Strength	Unit	Ceiling price (wef 1.4.2023 with WPI @ 12.1218%)	Existing S.O. No. & Date	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6(a)	6(b)
211	Haloperidol	Tablet 1.5mg	1 Tablet	1.56	89(E)	06.01.2023
269	Levofloxacin	Tablet 250mg	1 Tablet	4.76	89(E)	06.01.2023
270	Levofloxacin	Tablet 500mg	1 Tablet	8.80	89(E)	06.01.2023

Read as

Sl. No	Medicines	Dosage form and Strength	Unit	Ceiling price (wef 1.4.2023 with WPI @ 12.1218%)	Existing S.O. No. & Date	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6(a)	6(b)
211	Haloperidol	Tablet 1.5mg	1 Tablet	1.58	89(E)	06.01.2023
269	Levofloxacin	Tablet 250mg	1 Tablet	4.82	89(E)	06.01.2023
270	Levofloxacin	Tablet 500mg	1 Tablet	8.99	89(E)	06.01.2023

All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 1574(E), dated 31st March 2023 shall remain same.

[PN/243/111/2023/F F. No. 8(111)/2023/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director